यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

..18../19 तारीखरजू:– 15/4/19

उनवानः– श्रीकिशन बनम कम्पूरी वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

18 प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 25/04/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 280 रकवा 0.35 है0, ख0न0 281 रकवा 0.61 है0 कुल किता 2 रकवा 0.96 है0 ग्राम पदमपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे किसी भी तरह का निर्माण कार्य नही करने के आदेश दिए जाते है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17/5/19 को पेश हो। 1437-38 15-4-19

(हस्ताक्षर)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

17-5-19
बार की ओर से कार्यस्थगन रखा गया है प्रतिवादी नं. 2 उपस्थित / आईन्दा दिनांक 21.6.19 को पेश हो।
(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जि

दिनांक	फर्द अहकाम
21.6.19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते बहस दिनांक 17.7.19 को पेश हो।
17.7.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 8-8-19 को पेश हो।
8.8.19	प्रार्थी वकील उप०। बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दिनांक 15.4.19 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करने का कथन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी संवत 2071-74 ग्राम पदमपुरा ख.नं. 278/0.08, 280/0.35, 281/0.61, 281/0.48 का खातेदार काश्तकार है, अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित होने से गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है दिनांक 15.4.19 को जारी की गई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner